उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 73वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 22.03.2022

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522. 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 22.03.2022 को सम्पन्न हुई 73वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –अध्यक्ष
2. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) –सदस्य
3. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) –सदस्य
4. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) –सदस्य
5. श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) –सदस्य
6. श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) –सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री आर0आर0 सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
4. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमहाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री सलिल कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
7. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
8. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
9. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
10. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
12. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
13. श्री के0के0 पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
14. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
15. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 73वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.02.2022 को सम्पन्न हुई 72वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया:–**

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 72वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.02.2022 को सम्पन्न 72वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:–**

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.02.2022 को सम्पन्न हुई 72वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे" पर वर्ष 2022–23 हेतु टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या– 2747 / 77–3–2017–37 एनएम–12 दिनांक 15.12.2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" जारी की गई थी, जिसके प्राविधानों के अनुसार "आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे" पर टोल की वसूली की जा रही है। उक्त नियमावली के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–02 / 2018 / 235 / 77–3–2018–37 एनएम–12 दिनांक 15.01.2018 के प्रस्तर–3 द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे हेतु विभिन्न वाहनों के लिये वर्ष 2017–18 के लिये आगणित टोल दरों पर टोलिंग प्रारम्भ करने के दिनांक से छः माह की अवधि के लिये 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी। उक्त अधिसूचना के प्रस्तर–4 द्वारा वर्ष 2017–18 की टोल दरों (दिसम्बर 2016 की डब्ल्यू0पी0आई0 343.32 पर आधारित) पर "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अर्न्तगत, प्रत्येक वर्ष, 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है। तदोपरान्त औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1596 / 77–3–18–37एम–12टी0सी0 दिनांक 14.05.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 के लिये आगणित टोल दरों पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। तत्क्रम में टोल नियमावली के प्राविधानों के अनुसार टोल की दरों में प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से संशोधित टोल दरों को निर्धारित करते हुये प्राधिकरण के निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित दरों (25 प्रतिशत छूट सहित) को लागू किया जाता रहा है, जिसके अनुसार

'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली हेतु नामित एजेन्सी द्वारा टोल एकत्रित किया जाता है। वर्तमान में टोल एजेन्सी मेसर्स सहकार ग्लोबल द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित दरों (25 प्रतिशत छूट सहित) के अनुसार टोल वसूली की जा रही है।

उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुरूप **वर्ष 2022–23 हेतु 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर संशोधित टोल दरों** के निम्नवत् आंकलन से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया:–

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0)	
अवधि	दर
दिसम्बर–2016	343.32
दिसम्बर–2017	355.66
दिसम्बर–2018	369.19
दिसम्बर–2019	377.49
दिसम्बर–2020	382.66
दिसम्बर–2021	437.68

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	वर्ष 2017–18 के लिये दिसम्बर 2016 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 343.32) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)	वर्ष 2021–22 के लिये दिसम्बर 2020 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 382.66) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)	वर्ष 2022–23 के लिये दिसम्बर 2021 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 437.68) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)
1	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	2.20	2.30	2.45
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	3.50	3.65	3.90
3	बस या ट्रक	7.05	7.40	7.85
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	10.85	11.35	12.05
5	विषाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	13.85	14.50	15.35

निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढांचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो वर्ष 2022–23 के लिये दिसम्बर, 2021 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 437.68) के आधार पर फीस की दर निम्नवत् होगी:–

फीस की आधार दर रू0 में (प्रति वाहन प्रति फेरा)											
क्रम सं0	स्थायी सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रू0 में)	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन		हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस		बस या ट्रक		भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)		विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	
		वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23
1	10–15	6.30	6.65	9.40	10.00	18.85	20.00	27.60	29.30	37.60	39.90
2	रू0 15 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू0 100 करोड़ तक	1.25	1.35	1.90	2.00	3.75	4.00	5.65	6.00	7.55	8.00
3	रू0 100 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू0 200 करोड़ तक	0.95	1.00	1.45	1.55	2.60	3.00	4.30	4.55	5.65	6.00
4	रू0 200 करोड़ ऊपर प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर	0.65	0.65	0.95	1.00	1.90	2.00	2.80	3.00	3.75	4.00

"उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार आंगणित टोल की संशोधित आधार दरों के अनुसार 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर **आगरा से लखनऊ तक विभिन्न वाहनों के लिये वर्ष 2022–23 हेतु आंगणित की गई संषोधित टोल दरें निम्नवत् हैः–**

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	वर्ष 2021–22 के लिये दिसम्बर 2020 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 382.66) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)		वर्ष 2022–23 के लिये दिसम्बर 2021 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 437.68) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये मे)	
		25% की छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रू0 5/– की राउण्डिंग सहित)	बिना छूट के (राउण्डिंग के बिना)	25% की छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रू0 5/– की राउण्डिंग सहित)	बिना छूट के (राउण्डिंग के बिना)
1	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	600	797	650	865
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	945	1257	1020	1360
3	बस या ट्रक	1895	2526	2060	2750
4	भारी निर्माण कार्य मषीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	2915	3887	3160	4215
5	विषाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	3745	4992	4065	5420

उपरोक्तानुसार 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ्स के बीच वर्ष 2022–23 हेतु पुर्नरिक्षित टोल आधार दरों के अनुसार लागू टोल दरों की धनराशि का विवरण निदशक मण्डल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–02/2018/235/77–3–2018–37 एनएम–12 दिनांक 15.01.2018 द्वारा टोल दरों में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है।

उपरोक्त पर विस्तृत विचार–विमर्ष के उपरान्त निदेषक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

1. **'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2022–23 हेतु आंगणित संशोधित टोल दरों पर पूर्व की भांति 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।**
2. **'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2022–23 (01.04.2022 से लागू) के लिये आंगणित संशोधित आधार टोल दरों एवं एक्सप्रेसवे पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजाज/टोल बूथ्स के बीच लागू टोल दरों की धनराषि (25% की छूट सहित) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

एजेण्डा बिन्दु–04:– बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति।

मुख्य महाप्रबंधक, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना की अद्यतन प्रगति 90.27 प्रतिषत है तथा सभी पैकेज द्वारा माइल स्टोन –03 प्राप्त करने की निर्धारित तिथि दिनाँक 18.02.2022 से काफी पूर्व ही माइल स्टोन –03 प्राप्त कर लिया गया है। परियोजना की पूर्ण करने हेतु अनुबन्धित तिथि दिनाँक 14.01.2023 है। अद्यतन प्रगति के दृष्टिगत सभी 06 पैकेज के कार्य 31.05.2022 तक पूर्ण हो जाना सम्भावित है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा गैप के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 58 गैप हैं जिनके दिनाँक 31.03.2022 तक घटकर 50 रह जाने

की सम्भावना है सबसे अधिक गैप पैकेज 02 एवं 06 में क्रमशः 27 एवं 15 हैं। पैकेज 01 में 13 गैप एवं पैकेज 05 में 03 गैप हैं । मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दियें गयें हैं कि 15 मई 2022 तक सभी गैप भरने का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये तथा बी0सी0 के कार्य में भी तेजी लाते हुए प्रगति सुनिश्चित की जाये। महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य महाप्रबंधक पैकेज 02 एवं पैकेज 06 के कार्यो का विशेष रूप से अनुश्रवण करते हुए कार्य में तेजी लाना सुनिष्चित करायेंगें।

<u>कार्यवाही / निर्णय :</u> निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुए सन्तुष्टि व्यक्त की गयी।

<u>एजेण्डा बिन्दु–05:–</u> **<u>बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में।</u>**

उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में मुख्य महाप्रबंधक, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक निर्गत चेन्ज आफ स्कोप नोटिस के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यो की अनुमानित लागत लगभग रू0 175 करोड है जो परियोजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष लगभग 2.5 प्रतिशत है।

<u>कार्यवाही / निर्णय :</u> निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य हेतु कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए सन्तुष्टि व्यक्त की गयी।

<u>एजेण्डा बिन्दु–06:–</u> **<u>मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्यतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 16.03.2022 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण।</u>**

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> यूपीडा के विधि सलाहकार द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित कुल वादों की संख्या–353 में से निस्तारित वादों की संख्या–229 तथा लम्बित वादों की संख्या–124 है एवं 04 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना शेष है तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित वादों की संख्या–251 में से निस्तारित वादों की संख्या 182 तथा लम्बित वादों की संख्या 69 है एवं 02 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना शेष है।

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

<u>एजेण्डा बिन्दु–07:–</u> **<u>अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन।</u>**

1. **संविदा पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जानाः–**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत अधिकारियों / कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा म आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्ता किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना हैः–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवाविस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या / तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री के0के0गुप्ता	वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थान)	25.01.2022	एक वर्ष	25.01.2023	सं0–9006 / यूपीडा / 424 / 15 / अधि0 दिनांक 16.02.2022

2.	श्री राम कृष्ण गौड	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2022	06 माह	02.09.2022	सं0–9015 / यूपीडा / 1655 / 20 / अधि0 दिनांक 16.02.2022
3.	श्री नामवर सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	12.02.2022	06 माह	12.08.2022	सं0–9016 / यूपीडा / 1229 / 19 / अधि0 दिनांक 16.02.2022
4.	श्री बंशीधर सीताराम दुबे	सलाहकार (प्रक्योरमेन्ट सेल)	28.02.2022	06 माह	31.08.2022	सं0–9012 / यूपीडा / 780 / 17 / अधि0 दिनांक 16.02.2022
5.	श्री ओम प्रकाश पाठक	विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन)	16.02.2022	06 माह	16.08.2022	सं0–9014 / यूपीडा / 528 / 15 / अधि0 दिनांक 16.02.2022
6.	श्री कालीशंकर वर्मा	भू–अर्जन अधिकारी	30.03.2022	06 माह	30.09.2022	सं0–9057 / यूपीडा / 1960 / 20 / अधि0 दिनांक 17.02.2022
7.	श्री राम कुमार	वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2022	06 माह	02.09.2022	सं0–9060 / यूपीडा / 1652 / 20 / अधि0 दिनांक 17.02.2022
8.	श्री श्याम शंकर शुक्ला	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	11.02.2022	06 माह	11.08.2022	सं0–9056 / यूपीडा / 261 / 14 / अधि0 दिनांक 17.02.2022
9.	श्री कृपाल सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	13.02.2022	06 माह	13.08.2022	सं0–9059 / यूपीडा / 1221 / 19 / अधि0 दिनांक 17.02.2022
10.	श्री शंकर दयाल राम	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2022	06 माह	02.09.2022	सं0–9058 / यूपीडा / 1656 / 21 / अधि0 दिनांक 17.02.2022
11.	श्री राम खेलावन वर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	25.01.2022	06 माह	25.07.2022	सं0–9076 / यूपीडा / 1412 / 19 / अधि0 दिनांक 18.02.2022
12.	श्री केदार यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2022	03 माह	18.06.2022	सं0–9184 / यूपीडा / 1088 / 18 / अधि0 दिनांक 24.02.2022
13.	श्री किशोर कुमार पाण्डेय	प्रबन्धक (वित्तीय संस्थान)	28.02.2022	एक वर्ष	28.02.2023	सं0–9182 / यूपीडा / 180 / 12 / अधि0 दिनांक 24.02.2022
14.	श्री केदार यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2022	03 माह	18.06.2022	सं0–9184 / यूपीडा / 1088 / 18 / अधि0 दिनांक 24.02.2022
15.	श्री राम शंकर सोनी	लेखाकार कम आडिटर	24.03.2022	06 माह	24.09.2022	सं0–9185 / यूपीडा / 1480 / 19 / अधि0 दिनांक 24.02.2022
16.	श्री रवीन्द्र शर्मा	डाफ्टमैन	07.01.2022	06 माह	07.07.2022	सं0–9183 / यूपीडा / 2099 / 21 / अधि0 दिनांक 24.02.2022
17.	श्री राजमणि यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2022	03 माह	18.06.2022	सं0–9270 / यूपीडा / 1082 / 18 / अधि0 दिनांक 28.02.2022
18.	डा0 शिव सिंह कनौजिया	सहायक प्रबन्धक (अधिष्ठान)	18.03.2022	06 माह	18.09.2022	सं0–9328 / यूपीडा / 1323 / 19 / अधि0 दिनांक 02.03.2022
19.	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	विशेष कार्याधिकारी	13.03.2022	एक वर्ष	13.03.2023	सं0–9333 / यूपीडा / 795 / 17 / अधि0 दिनांक 03.03.2022
20.	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	लेखाकार	30.03.2022	06 माह	30.09.2022	सं0–9371 / यूपीडा / 519 / 15 / अधि0 दिनांक 04.03.2022
21.	श्री अतुल कुमार पाण्डेय	लेखाकार कम आडिटर	24.03.2022	06 माह	24.09.2022	सं0–9372 / यूपीडा / 1482 / 19 / अधि0 दिनांक 04.03.2022
22.	श्री श्री प्रकाश सिंह	लेखाकार कम आडिटर	24.03.2022	06 माह	24.09.2022	सं0–9406 / यूपीडा / 1481 / 19 / अधि0 दिनांक 07.03.2022
23.	श्री राधेश्याम विश्वकर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2022	03 माह	02.06.2022	सं0–9407 / यूपीडा / 1666 / 20 / अधि0 दिनांक 07.03.2022
24.	श्री श्याम सुन्दर चौधरी	लेखाकार कम कैशियर	11.03.2022	06 माह	11.09.2022	सं0–9411 / यूपीडा / 1682 / 20 / अधि0 दिनांक 07.03.2022
25.	श्री ओम प्रकाश सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	14.03.2022	06 माह	14.09.2022	सं0–9408 / यूपीडा / 1946 / 20 / अधि0 दिनांक 07.03.2022
26.	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2022	06 माह	02.09.2022	सं0–9513 / यूपीडा / 1660 / 20 / अधि0 दिनांक 11.03.2022
27.	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2022	03 माह	18.06.2022	सं0–9563 / यूपीडा / 431 / 15 / अधि0 दिनांक 11.03.2022
28.	श्री अमर नाथ	वरिष्ठ सहायक (डिफेन्स कॉरिडोर)	18.03.2022	06 माह	18.09.2022	सं0–9520 / यूपीडा / 1470 / 19 / अधि0 दिनांक 11.03.2022
29.	श्री राम प्रकाश भारद्वाज	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2022	06 माह	02.09.2022	सं0–9521 / यूपीडा / 1658 / 20 / अधि0 दिनांक 11.03.2022
30.	श्री दुर्गा प्रसाद अवस्थी	प्रबन्धक (सिविल)	06.03.2022	06 माह	06.09.2022	सं0–9514 / यूपीडा / 1665 / 20 / अधि0 दिनांक 11.03.2022
31.	श्री के0के0सिंह विसेन	विशेष कार्याधिकारी	02.04.2022	एक वर्ष	02.04.2023	सं0–9587 / यूपीडा / 405 / 15 / अधि0 दिनांक 14.03.2022

2. यूपीडा के पत्रों द्वारा औद्योगिक विकास विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में संविदा पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति का अनुमोदन 73 वीं बोर्ड की बैठक 22.03.2022 में प्राप्त किया जाना है:–

यूपीडा में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्ति के यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 16.03.2022 के आधार पर संविदा पर यूपीडा मुख्यालय के कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु नियुक्ति की गयी है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 22.03.2022 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदन
1.	श्री सुनील प्रताप राव	महाप्रबन्धक	06 माह नियुक्ति	दिनांक 16.03.2022
2.	श्री बृजपाल सिंह	वरिष्ठ प्रबन्धक	06 माह नियुक्ति	दिनांक 16.03.2022
3.	श्री संजीव शुक्ला	प्रबन्धक	06 माह नियुक्ति	दिनांक 16.03.2022
4.	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	सहायक प्रबन्धक	06 माह नियुक्ति	दिनांक 16.03.2022
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुष्पाद	सहायक प्रबन्धक	06 माह नियुक्ति	दिनांक 16.03.2022

कार्यवाही / निर्णय — अधिष्ठान के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये एजेण्डा बिन्दु–07 के उप बिन्दु–01 एवं 02 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यो का अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया ।

एजेण्डा बिन्दु–09:– **गोरखुपर लिंक एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यो का अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय — मुख्य महाप्रबन्धक (गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे) द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि गोरखुपर लिंक एक्सप्रेसवे में कार्यस्थल की आवश्यकता व जनसाधारण की मांग पर अनुबन्धो में प्राविधानित कार्यो में घट/बढ किये जाने हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्धो के क्लाज 13.2.1 के अन्तर्गत Change of Scope Notice निर्गत किये गये थे जिनके आगणनो को ई0पी0सी0 कान्ट्रैक्टर से प्राप्त होने के उपरान्त अथारिटी इंजीनियर द्वारा परीक्षण किया गया। ऑथारिटी इंजीनियर के द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में ऑथारिटी द्वारा इन कार्यो के चेन्ज आफ स्कोप आर्डर परीक्षणोपरान्त निर्गत किये गये है, जिसके अनुसार 2.48 प्रतिशत चेंज ऑफ स्कोप के आदेश जारी किये गये है। इस संदर्भ में यह भी अवगत कराया गया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में चेंज ऑफ स्कोप लगभग 10 प्रतिशत हो जायेगा क्योंकि 400 मीटर का घाघरा ब्रिज पर अतिरिक्त पुल आ जाने के कारण लगभग 6.50 प्रतिशत चेंज ऑफ स्कोप बढ़ जायेगा साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि माह अप्रैल, 2022 के अंत तक सभी चेंज ऑफ स्कोप के आदेश निर्गत कर दिये जायेगें।

एजेण्डा बिन्दु–10:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल कलेक्टर M/s Sahakar Global Ltd. द्वारा अस्थायी रूप से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे एवं आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आने जाने वाले वाहनो से टोल कलेक्शन किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया ।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर–।। को दी गई समस्त समयवृद्धियों के कारण हुये वित्तीय प्रभाव का अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर–।। को दी गई समस्त समयवृद्धियों के कारण हुये वित्तीय प्रभाव का संज्ञान लेतें हुए प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **गंगा प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना हेतु तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता, स्टाफ के मुख्यालय का निर्धारण तथा फील्ड स्टाफ को अनुमन्य भवन, वाहन, फर्नीचर आदि का निर्धारणः–**

मुख्य महाप्रबंधक (गंगा एक्सप्रेसवे) द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को विकसित किये जाने हेतु पी0पी0पी0 मोड पर डिजाइन, बिल्ड, फाइनेन्स, आपरेट एवं ट्रांसफर (डी0बी0एफ0ओ0टी0) पद्धति पर निविदायें आमंत्रित की गयी थीं।

परियोजना हेतु 12 पैकेज को 04 ग्रुप में विभाजित करते हुए (प्रत्येक ग्रुप में 03 पैकेज) निविदाएं प्राप्त की गयी हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जनपद मेरठ के बिजौली ग्राम से प्रारम्भ होकर जनपद प्रयागराज बाईपास पर ग्राम जुड़ापुर डांडो पर समाप्त होती है। ग्रुप संख्या–01 (जनपद मरेठ से बदायूँ) का अनुबन्ध मे0 आई0आर0बी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में तथा ग्रुप 2, 3 एवं 4 का अनुबन्ध मे0 अडानी इन्फ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में दिनांक 06.01.2022 को गठित किया जा चुका है।

परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाना है, जिसके क्रियान्वयन / पर्यवेक्षण हेतु 04 पीआईयू0 के गठन का अनुमोदन दिनांक 06.01.2022 को 71वीं बोर्ड बैठक में प्राप्त है। तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पत्रांक 8250 / यूपीडा / 1215 / टी0सी0 दिनांक 06.01.2022 द्वारा जनपद मेरठ, शाहजहांपुर, रायबरेली एवं प्रयागराज में एक–एक पी0आई0यू0 खोलने के आदेश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2598 / 77–3–2020–21एम / 19, दिनांक 26 नवम्बर, 2020 द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के मुख्यालय एवं उपर्युक्त पी0आइ0यू0 में निम्न तालिका अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के पद पर भर्ती हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई हैः–

क.सं.	पद नाम	पदो की संख्या	टिप्पणी
(ए) तकनीकी			
01.	प्रमुख अभियन्ता / वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	01	परियोजना के सम्पूर्ण प्रबन्धन एवं नियंत्रण अधिकारी
02.	मुख्य अभियन्ता (सिविल) / मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	02	6–6 पैकेज के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु 02 अधिकारी

03.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) / महाप्रबन्धक(सिविल)	04	3–3 पैकेज के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु 04 अधिकारी
04.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल) / वरिष्ठ प्रबन्धक(सिविल)	16	परियोजना के 12 पैकेज में प्रत्येक पैकेज के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु 01 अधिकारी एवं मुख्यालय पर 04 अधिकारी
05.	सहायक अभियन्ता (सिविल) / प्रबन्धक(सिविल)	36	परियोजना के 12 पैकेज में प्रत्येक पैकेज के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु 02 अधिकारी एवं मुख्यालय पर प्रत्येक पैकेज हेतु 01 अधिकारी
06.	अवर अभियन्ता (सिविल)	48	परियोजना के 12 पैकेज में प्रत्येक पैकेज हेतु 04 अभियन्ता
07.	अवर अभियन्ता (प्राविधिक)	01	मुख्यालय का आगणन एवं अन्य तकनीकी कार्यों हेतु 01 अभियन्ता
बी–राजस्व			
01.	उप जिलाधिकारी	05	भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्यों हेतु क्षेत्र के लिए 04 एवं मुख्यालय पर 01 अधिकारी
02.	तहसीलदार	12	12 पैकेज में प्रत्येक पैकेज हेतु 01 अधिकारी
03.	लेखपाल	04	मुख्यालय पर
सी– वित्त एवं लेखाः–			
01.	वित्त अधिकारी	01	मुख्यालय पर वित्त एवं लेखा सम्बन्धित कार्यों हेतु
02.	लेखाधिकारी	02	मुख्यालय पर वित्त एवं लेखा सम्बन्धित कार्यों हेतु
03.	लेखाकार	16	मुख्यालय पर वित्त एवं लेखा सम्बन्धित कार्यों हेतु 04 एवं प्रत्येक पैकेज हेतु 01 लेखाकार
डी–वृक्षपातन, वृक्षारोपण एवं वन विभाग से सम्बन्धित अन्य कार्य			
01.	सहायक वन संरक्षक / प्रबन्धक	01	परियोजना हेतु आवश्यक वृक्षापातन, वृक्षारोपण आदि कार्यों के प्रबन्धन, नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु
02.	क्षेत्रीय वनाधिकारी / वृक्षारोपण अधिकारी	02	
03.	फारेस्ट / डिप्टी रेंजर / उप वृक्षारोपण अधिकारी	12	
ई– अन्य			
01.	कम्प्यूटर आपरेटर / लिपिक	46	मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु
02.	अनुसेवक	50	

1. परियोजना में तालिका में उल्लिखित क्रमांक ए–तकनीकी में क्रमांक 01 एवं 02 पर निदेशक मण्डल से अनुमोदनोपरान्त तैनाती हो चुकी है। स्वीकृत तकनीकी पदो के प्रथम चरण हेतु क्रमांक संख्या 03, 04, 05 एवं 06 पर उल्लिखित अधिकारी की संख्या का 50 प्रतिशत तथा क्रमांक 07 पर शतप्रतिशत पदों पर प्रथम चरण में तैनाती प्रस्तावित है।

बोर्ड के समक्ष प्रस्तावित पी0आई0यू0 मुख्यालयों पर प्रत्येक पी0आई0यू0 में तकनीकी एवं अन्य सहायक स्टाफ को तैनात करने के लिए लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति / संविदा पर कर्मियों की नियुक्ति / स्थानान्तरण करने आदि के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

2. क्रमांक बी–राजस्व हेतु उल्लिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकारियों के पद शासनादेश संख्या 466/77–3–09–94 भा/07 टी0सी0 दिनांक 10.02.2009 द्वारा 02 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी एवं शासनादेश संख्या 760/77–3–2021–94 भा/07 टी0सी0 दिनांक 25–03–2021 द्वारा 03 उपजिलाधिकारी के पद सृजित किये गये हैं।

3. क्रमांक सी– वित्त एवं लेखा के अधिकारियों/कर्मचारियों सम्बन्धी प्रस्तावित पदों हेतु वित्त विभाग में प्रकरण प्रचलित है।

4. क्रमांक डी–वृक्षापतन, वृक्षारोपण एवं वन विभाग से सम्बन्धित अन्य कार्य हेतु क्रमांक संख्या–3 पर उल्लिखित फारेस्टर के 12 पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में 50 प्रतिशत (06 पद) पर तैनाती किया जाना प्रस्तावित है।

5. ई–अन्य सपोर्टिंग स्टाफ (कम्प्यूटर आपरेटर/लिपिक/अनुसेवक) की भर्ती हेतु उपलब्ध पदो के सापेक्ष प्रथम चरण में 50 प्रतिशत तक तैनाती आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं।

स्थापित किये जाने वाले पी0आई0यू0 एवं उनके मुख्यालय का विवरण निम्नवत् है:–

पी0आई0यू0	प्रस्तावित मुख्यालय	कार्यक्षेत्र (कहॉ से कहॉ तक)	चैनेज	लम्बाई (कि0मी0 में)
1	मेरठ	ग्राम– बिजौली (जिला– मेरठ) से ग्राम– नग्ला बरहा (जिला– बदायूँ)	कि0मी0 7+900 से कि0मी0 137+600	129.700
2	शाहजहांपुर	ग्राम– नग्ला बरहा (जिला– बदायूँ) से ग्राम– उबरईया खुर्द (जिला– हरदोई)	(कि0मी0 137+600 से 289+300 कि0मी0)	151.700
3	रायबरेली	ग्राम– उबरईया खुर्द (जिला– हरदोई) से ग्राम– सरसों (जिला– उन्नाव)	(कि0मी0 289+300 से 445+000 कि0मी0)	155.700
4	प्रयागराज	ग्राम– सरसों (जिला– उन्नाव) से ग्राम– जूदापुर डांडो (जिला– प्रयागराज)	(कि0मी0 445+000 से 601+847 कि0मी0)	156.847
		कुल लम्बाई		**593.947**

(अ) सहायक स्टाफ की आवश्यकता:–

कार्यालय के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक पीआईयू0 में निम्नवत् स्टाफ की आवश्यकता होगी:–

क्र0सं0	सहायक स्टाफ का विवरण	आवश्यक संख्या	अनुमानित प्रतिमाह दर	अनुमानित मासिक व्यय भार
1	लेखाकार कम कैशियर (संविदा पर)	01	राजकीय विभाग से सेवानिवृत्त (25,000)	25,000
2	लिपिक	02	20,000	40,000
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	20,000	20,000
4	रिकार्ड कीपर	01	20,000	20,000
5	चपरासी	04	12,000	48,000
6	चौकीदार	03	12,000	36,000
7	स्वीपर (अंशकालिक)	01	260 रू0 प्रतिदिन	7,800
			योग	**1,96,800**

प्रत्येक पी0आई0यू0 के एक लेखाकार कम कैशियर की नियुक्ति किसी राजकीय विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी का किया जाना प्रस्तावित है। सभी स्टाफ संविदा पर रखा जाना प्रस्तावित है तथा दरों में ठेकेदार का लाभांश भी शामिल है। स्वीपर की दरें लो0नि0वि0 के एस0ओ0आर0 के आधार पर प्रतिवर्ष 08 प्रतिशत की दर से मूल्य वृद्धि सम्मिलित करते हुए ली गयी है। वास्तविक दरें बाजार दरों के अनुसार होगी।

(ब) कार्यालय भवन की आवश्यकता

पी0आई0यू0 हेतु प्रस्तावित स्थलों पर कार्यालय की स्थापना हेतु निजी भवन किराये पर लिये जाने होंगे। शासनादेश संख्या–5663 CE/XXIII-PWC-49 CB/64 दिनांक 30.11.1964 द्वारा विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवश्यक कार्यालय क्षेत्रफल की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है, जिसके अनुसार प्रत्येक पी0आई0यू0 हेतु न्यूनतम 1600 वर्गफुट कार्पेट एरिया के भवन की आवश्यकता होगी।

क0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पद नाम	अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	आवश्यक क्षेत्रफल प्रत्येक हेतु (sq. ft में)	आवश्यक क्षेत्रफल (sq. ft में)
1	अधिशासी अभियन्ता	01	250	250
2	सहायक अभियन्ता	02/03	150	300
3	अवर अभियन्ता	03	40	120
4	लिपिक, लेखाकार–कम– कैशियर, कम्प्यूटर आपरेटर एवं रिकार्ड कीपर	05	40	200
5	मीटिंग/ आगन्तुक कक्ष	01	500	500
6	च्परासी	04	20	80
7	रिकार्ड रूम	01	150	150
	कुल			1600

राजकीय कार्य हेतु भवनों के किराये का निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ए–2–1092/दस–2011–24 (7)/95 दिनांक 25.11.2011 द्वारा किया गया है। ये दरें कमांक–01 लखनऊ, कानपुर, गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद के लिए 20 रूपये/वर्गफुट, कार्पेट एरिया तक इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 50,000/– रूपये प्रतिमाह होगी एवं मण्डल मुख्यालय के जनपदों में उपर्युक्त कमांक–01 में सम्मिलित जनपदों को छोड़कर रूपये 10.00 रूपये प्रति वर्गफुट कार्पेट एरिया तक इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 40,000/– रूपये प्रतिमाह होगी एवं 01 लाख जनसंख्या से ऊपर के नगरों के लिए 8.00 रूपये प्रति वर्गफुट कार्पेट एरिया दी गयी है। इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 25,000/– रूपये प्रतिमाह होगी।

चूंकि ये दरें 11 वर्ष पुरानी हैं अतः इसमें 8% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य वृद्धि जोडा जाना समीचीन होगा। विवरण निम्नानुसार तालिका में दर्शित है:–

बेसिक रेट– 10.00 रुपये/वर्गफुट दिनांक 25.11.2011

मूल्य वृद्धि (Escalation) @ 8% प्रतिवर्ष 11 वर्षों के लिए

$$= \frac{10*8*11}{100} = 8.80$$

वर्तमान दर = 10.00+8.80 = रु0 18.80 प्रति वर्गफुट

क0 सं0	कार्यालय स्थापित किये जाने वाले शहर का नाम	कार्यालय हेतु आवश्यक भवन का क्षेत्रफल वर्गफुट	किराये की दर प्रति वर्गफुट	8% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य वृद्धि सम्मिलित करने पर किराया प्रति वर्गफुट	किराये की कुल धनराशि प्रतिमाह	टिप्पणी
1	शाहजहांपुर	1600	10.00	18.80	30,080	प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा रु0 40,000 प्रतिमाह है।
2	रायबरेली	1600	10.00	18.80	30,080	
	कुल				60,160	

जनपद प्रयागराज एवं जनपद मेरठ मण्डल मुख्यालय हैं। इन जनपदों में भवन किराये की दरें मण्डल मुख्यालय होने के कारण जनपद शाहजहांपुर एवं जनपद रायबरेली से अपेक्षाकृत स्वाभाविक रूप से अधिक होंगी।

अतः जनपद मेरठ एवं जनपद प्रयागराज के भवनों का किराया निर्धारण शासनादेश में अधिकृत अधिकतम सीमा **रू0 40000 प्रति माह** तक व्यय प्रस्तावित है।

भवनों के किराये का अनुबंध वास्तविक बाजार भाव के अनुरूप भवन स्वामियों से प्राप्त न्यूनतम कोटेशन के अनुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

(स) कार्यालय हेतु आवश्यक फर्नीचर व अन्य साज–सज्जा आदि

कार्यालय स्थापित करने हेतु निम्नांकित दर्शित फर्नीचर व साज–सज्जा की आवश्यकता होगी। फर्नीचर की दरें गोदरेज कम्पनी की ली गयी है, अन्य T&P व साज–सज्जा आदि की दरें बाजार भाव के आधार पर प्रतिष्ठित कम्पनी की ली गयी है।

प्रत्येक पी0आई0यू0 हेतुः–

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	दर प्रति नग	धनराशि (रू0 में)
1	टेबल गोदरेज माइस्ट्रो	1	40000	40000
2	कुर्सी एक्जीक्यूटिव चेयर	1	18000	18000
3	कुर्सी लेथरीटकुशन	28	4000	112000
4	सोफा चार सीटर सेन्ट्रल सहित	1	50000	50000
5	अलमीरा माइनर प्लेन	4	18000	72000
6	ओपेनबुक शेल्फ 2 डोर बुक केस	2	16000	32000
7	मेज टी–104	2	25000	50000
8	कुर्सी ब्रावो हाईबैक	2	10000	20000
9	मेज टी–101	6	14000	84000
10	क्लोज कैबिनेट 4 ड्रॉर	2	21000	42000
11	अलमीरा स्टोर वेल प्लेन	2	24000	48000
12	कम्प्यूटर मेज कम्पैनियन सी–13	2	9000	18000
13	सीटिंग बैच	1	11000	11000
14	टेलीफोन / ब्रांडबैन्ड कनेक्शन	1	6900	6900
15	डेस्कटाप कम्प्यूटर, प्रिंटर यू0पी0एस0	2	92000	184000
16	एअर कंडीशनर, स्टेब्लाइजर	1	55000	55000
17	बैटरी+इर्न्वटर 2000 केवीए	2	28750	57500
18	वाटरकूलर	1	40000	40000
19	सीलिंग फैन	6	1600	9600

20	ट्यूबलाइट	10	700	7000
21	सीएफएल	10	300	3000
22	डेजर्ट कूलर	5	6000	30000
23	बिजली कनेक्शन	1	24000	24000
24	पर्दे	एक मुश्त	30000	30000
25	आर0ओ0	1	27600	27600
26	फोटोकॉपी मशीन	1	80000	80000
27	जनरेटर	1	15 केवीए	**350000**
			योग	**1501600**

उपरोक्त का व्यय प्रत्येक पी0आई0यू0 हेतु एकमुश्त कार्यालय स्थापना हेतु किया जाना आवश्यक है, जिनकी उपलब्धता जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम दरों पर की जायेगी।

(द) <u>कार्यालय संचालन हेतु प्रतिमाह व्यय की विविध मदें:–</u>

प्रत्येक पी0आई0यू0 के कार्यालय संचालन हेतु प्रतिमाह निम्नानुसार धनराशि आवश्यक होगी:–

क्र0सं0	मद का नाम	संख्या	दर	धनराशि (रू0 में)
1	बिजली व्यय	1	15000	15000
2	टेलीफोन व इन्टरनेट व्यय	1	3000	3000
3	वहन व्यय	3	48000	144000
4	कम्प्यूटर अनुरक्षण	2	1000	2000
5	कम्प्यूटर स्टेशनरी/प्रिंट कार्टेज इत्यादि	2	3500	7000
6	कार्यालय स्टेशनरी	1	1500	1500
7	फोटो कापी	1	1500	1500
8	पोस्टल व्यय	1	1500	1500
9	आर0ओ0 सर्विस अनुरक्षण	1	1000	1000
10	प्रकीर्ण धनराशि	1	25000	25000
			योग	**201500**

<u>कार्यवाही/निर्णय</u> निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रत्येक पी0आई0यू0 कार्यालय के संचालन हेतु उपरोक्तानुसार सहायक स्टाफ को संविदा/आउटसोर्स पर रखने, भवन किराये पर लेने, फर्नीचर व साज–सज्जा का क्रय करने, वाहन व विविध मदों को अनुमन्य करने हेतु आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भाँति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया गया एवं प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01</u> **<u>पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर–। को दी गई समयवृद्धि का अनुमोदन:–</u>**

<u>कार्यवाही/निर्णय</u> निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया ।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02 **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पैकेज–01 के ई0पी0सी0 कॉन्ट्रैक्टर (मेसर्स गायत्री प्रोजेक्टस लिमिटेड) को दिनांक 08.03.2022 से प्रभावी Provisional Certificate के निर्गत के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया ।

अंत में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 22.03.2022 को सम्पन्न हुई 73वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 22.03.2022 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी